राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर
(स्वास्थ्य भवन, सी स्कीम, जयपुर)

क्रमांक : ई33/प्रयो. सहा./एफ–149/2018/ दिनांक :

आदेश

श्री गजेन्द्र नारायण पाटीदार पुत्र श्री लालजी पाटीदार पता–मु.पो. नवलश्याम, डूंगरपुर (राज0) ने अभ्यावेदन दिनांक 15.05.2018 के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी.सि.रिट पिटिशियन संख्या 2663/2018 में पारित आदेश दिनांक 03.04.2018 की प्रति संलग्न कर निर्णय की पालना में प्रयोगशाला सहायक पद पर कार्यग्रहण कराने हतु निवेदन किया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर का पारित आदेश दिनांक 03.04.2018 का आपरेटीव पार्ट निम्न प्रकार से है:–

"In view of the above, the present writ petition is disposed of with the direction to the respondents to get the candidature of the petitioner considered by the Screening Committee of the respondents, by passing a speaking order within a period of 60 days from today, in light of the aforementioned precedent law of Avtar Singh (supra). However, it is made clear that the post in question, on which, the petitioner stood selected shall be kept vacant, until the final decision is taken by the respondents."

श्री गजेन्द्र नारायण पाटीदार को एस.बी.सि.रिट पिटिशियन संख्या 2900/2018 में पारित आदेश दिनांक 05.04.2016 की पालना में निदेशालय के आदेश क्रमांक 94 दिनांक 07.02.2018 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डुंगरपुर के अधीन प्रयोगशाल सहायक पद पर पदस्थापन किया गया था, जिसकी पालना में अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 14.02.2018 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डुंगरपुर के समक्ष में अपनी उपस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सलंग्न दस्तावेजों की जाचं करने पर पाया गया की पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र में इनके विरूद्व पुलिस थाना धानमण्डी उदयपुर में प्रकरण संख्या 65/2009 धारा 420, 467, 468, 471 120 बी आई.पी.सी. में दर्ज होने के तहत संबंधित माननीय न्यायालय में जरिये चार्जशीट नम्बर 78 दिनांक 24.12.2013 को पेश किया गया है उक्त प्रकरण वर्तमान में जैर ट्रायल है के क्रम में कार्यग्रहण नही करवाया गया।

अवतार सिंह प्रकरण एवं कार्मिक (क.2) विभाग, जयपुर के परिपत्र दिनांक 15.07.2016 के बिन्दु संख्या 1 के (1–8) में उल्लखित अनुसार किसी भी प्रकार के अपराध के तहत अन्वीक्षाधीन होने एवं दोषसिद्दी उपरांत सजा हो चुकी होने पर अभ्यर्थी को राज्य के अधीन सेवाओं/पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र नही माने जाने के फलस्वरूप अभ्यर्थी के पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र में इनके विरूद्व पुलिस थाना धानमण्डी उदयपुर में प्रकरण संख्या 65/2009 धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी आई.पी.सी. में दर्ज होने के तहत कार्यग्रहण करवाया जाना सम्भव नही है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2663/2018 में पारित आदेश 03.04.2018 की पालना में याचिकाकर्ता श्री गजेन्द नारायण पाटीदार की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 15.05.2018 एतद् द्वारा अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई33/प्रयो. सहा./एफ–149/2018/ 386 दिनांक : 12/10/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) राजस्थान, जयपुर।
3. उपविधि परामर्शी, मुख्यालय।
4. श्री के.एल. ठाकुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–उदयपुर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर।
7. डॉ0बी0एम0 स्वर्णकार, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य), जोधपुर एवं स्टेडिंग केस प्रभारी अधिकारी।
8. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
9. श्री गजेन्द्र नारायण पाटीदार पुत्र श्री लालजी पाटीदार पता–मु.पो. नवलश्याम, डूंगरपुर (राज0) (रजिस्टर्ड)
10. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।